भारतीय मानक ब्यूरो	बचत के लिए विवरण			
BUREAU OF INDIAN STANDARDS	DETAILS OF SAVINGS FI 48			
Permanent Account No.	Date			
स्थाई खाता संख्याः	दिनांक :			
Employee No.	Financial Year 20to 20			
कर्मचारी संख्या:	वित्तीय वर्ष: 20 से 20			
Name: Dr./Shri./Smt./Km.	Designation			
नाम: डा./ श्री / श्रीमती / कुमारी	पदनामः			
Date of Birth.	Date of Joining			
जन्म तिथि :	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :			
Place of Posting	Department			
तैनाती स्थल	विभाग			
Old Tax Regime (Interested in avail benefits like Interest on House Building Advance, Standard Deduction, Section 80C etc प्रानी कर ट्यवस्था (हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, Section 80C आदि जैसे लाभ प्राप्त करने के इच्छ्क हैं)	New Tax Regime (Not interested in avail benefits like Interest on House Building Advance, Standard Deduction, Section 80C etc.,) नई कर व्यवस्था (लाभ प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज, मानक कटौती, धारा 80 सी आदि)			
1. Self Occupied/स्वयं अधिग्रहित (a) Address of the Premises / परिसरों के पते (i)	Rental Accommodation / किराये का आवास (a) Address of the Premises / परिसरों के पते			
(ii) (If employee want to declare second home as self-occupied) (यदि कर्मचारी दूसरे घर को स्व-कब्जे के रूप में घोषित करना चाहते हैं) (b) Whether any loan has been taken?				
Loan Bank Principal Interest Against Ist home Against IInd home Total:				

	(e) Whether the loan ऋण स्वयं के (ए	in own (Single) name or Joint. कल) नाम पर हो या संयुक्त र	ज्य से।				
	Single / 1						
	(f) If in Joint name plbeing claimed und	lease specify the percentage of the der section 24(1)	ne rebate				
		र्म, तो कृपया धारा 24 (1) के तहत द	ावा की जा रही				
	छूट का प्रतिशत नि	दिष्ट कर					
2.	Any other income	अन्य कोई आय:					
	*	ees, honorarium, etc. rec					
	•	ceived during the above	e period				
	with details.	उपरोक्त अवधि के दौरान					
	•	प्रशासत जवाय के दारान फीस, मानदेय इत्यादि के					
	प्राप्त का जान पाला	पगस, मानदय इत्यादि प	* '4 #1				
	b) i) Income from	House Property receive	d in the				
	financial year	1 7					
	ख) (i) वितीय वर्ष में	प्राप्त हाउस प्रॉपर्टी से आय					
	ii) Capital Gain						
	पूंजीगत लाभ						
	c) Interest from	m other sources su	ıch as				
	Dividend/interest	iii otilei sources st	icii as				
		से अन्य स्रोतों से ब्याज					
3.		ed BIS after 01 March of	current financia	al year only. Earning	from pro	evious employ	ment for above
	period: जिन्होंने केवल इसी	वित्त वर्ष के 01 मार्च के	बाट भा मा छ	यरो में कार्यभार मंभाल	हि ।उप	गेक्त अवधि हेत	. पिछले रोजगार
	से कमाई :	14((1411)	-114 -11.	Control of the control	. (, , , ,		Troat to it
	Gross Salary	Exemption Amount	Taxable Salar			Contribution	NPS Contribution
	सकल वेतन	छूट राशि	कर योग्य आय	। कर कटौती	पी प	एफ अंशदान	एन पी एस अंशदान
4.	Particulars of savi	ngs qualifying u/s 80-C	of the Income	Tax Act			
	आयकर अधिनियम	की धारा 80 -सी के तहत	बचत के विवरण				
i.		an individual as Life ins	•		pouse		
	=	aid by an HUF for any m					
	स्वय , पति/ पत्नी	एवं बच्चों की जीवन सम्ब	ान्धी जीवन बीम	ा प्रीमियम के रूप मे			
	व्यक्तिगत रूप से र्	केये गये					
ii.	Contribution to General Provident Fund, or Recognised Provident Fund or Public						
	Provident Fund						
	सामान्य भविष्य नि	धि, या मान्य भविष्य निधि	ो या सार्वजनिक	भविष्य निधि			
			ELOC E	· 1p · =	,		
iii.		scription to NSC or ULIP		~	ds		
	एन एस सा या यूति	भेप या ई एल एस एस या	मान्य पशनानाध	या क अशदान/शुल्क			

iv.	Fixed Deposit with any schedule bank for at least 5 years	
	कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा	
v.	Payment of tuition fees (excluding development fees or donation etc) for	
	maximum two children for full time education to Recognised university,	
	college, school or other educational institution situated in India.	
	भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान में	
	पूर्णकालीन अधिकतम 2 बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क (विकास-शुल्क या दान इत्यादि	
	को छोड़कर) का भुगतान	
vi.	Any sum deposited as five years time deposit in an account under the Post Office Time	
	Deposit.	
	पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट के तहत खाते में 5 वर्ष के लिए जमा के रूप में जमा की गई	
	कोई राशि	
vii.	Contribution to 'Sukanya Samridhi Account' which can be opened at any time	
	from the birth of a girl child till she attains the age of 10 years (with a minimum	
	deposit of Rs. 1000)	
	बेटी के जन्म से, एवं उसकी 10 वर्ष की आयु होने तक किसी भी समय 'सुकन्या समृद्धि	
	खाता' खोला जा सकता है और उसका अंशदान (न्यूनतम 1000/- रुपये) है	
5.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-D of the Income Tax Act	
	Medical Insurance Premium & Contribution to CGHS Scheme	
	(Deduction is available upto Rs, 25,000/ for self/ family and parent/ parents of the assessee	
	.In case of senior citizens, a deduction upto Rs. 50,000/-)	
	आयकर अधिनियम की धारा 80-डी के तहत कटौती के विवरण	
	(चिकित्सा बीमा प्रीमियम एवं सी जी एच एस योजना का अंशदान (करदाता स्वयं / फैमिली	
	और पेरेन्टस के लिए रुपये 25000/- तक कटौती उपलब्ध है और करदाता स्वयं / फैमिली	
	 और पेरेन्टस वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में अधिकतम रुपये 50000/- तक कटौती	
	उपलब्ध है)	
6.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-DD of the Income Tax Act	
	Expenditure on Medical Treatment of a dependant being a person with permanent disability	
	(including blindness) or mentally retarded, which are covered under section 56(4) as certified	
	by a specified physician or psychiatrist	
	(Maximum Eligibility Rs. 75,000/-, in case of severe disability max eligibility Rs. 1,25,000/-)	
	आयकर अधिनियम की धारा - 80 डी डी के तहत कटौती के विवरण	
	फिजिशियन या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित के रूप में धारा 56(4) के तहत स्थायी	
	अक्षमता (अंधपन सहित) या दिमागी तौर पर दिवालिया सहित एक व्यक्ति के नाते आश्रित	
	चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय (अधिकतम पात्रता रुपये 75000/-गंभीर अक्षमता के मामले में	
	अधिकतम योग्यता रुपये 125000/-)	
	<u> </u>	

	B d 1 (11) d 101 (20) DDB 4d 7	
7.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-DDB of the Income Tax Act	
	Expenditure on Medical Treatment actually incurred by resident assessee on himself or	
	dependent relative for medical treatment of specified disease or ailment. The diseases have been specified in Rule 11DD. A certificate in form 10I is to be furnished by the assessee from a	
	specialist working in a Government hospital	
	(Maximum Eligibility Rs. 40,000/-, in case of senior citizen max eligibility Rs. 1,00,000/-)	
	आयकर अधिनियम की धारा-80 डी डी बी के तहत कटौती के विवरण	
	विशेष बिमारी या रोग के चिकित्सीय उपचार के लिए स्वयं या आश्रित संबंधी पर आवासीय	
	करदाता दवारा वास्तविक रूप से खर्च किये गये चिकित्सीय उपचार संबंधी व्यय । बिमारी को	
	नियम 11 डी डी में निर्दिष्ट किया गया है । फॉर्म 101 में एक प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल	
	में कार्यरत विशेषज्ञ से लेकर करदाता का द्वारा प्रस्तृत किया जाना है ।	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(अधिकतम पात्रता रु 40,000/-, और वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम पात्रता के मामले में रु.	
8.	1,00,000/-) Particulars of deduction qualifying u/s 80-E of the Income Tax Act	
U.	Payment/ Instalment of loan taken from any Financial Institution for Pursuing Higher	
	Education.	
	(8 Years from the year of loan taken or till the completion of the period of loan whichever is	
	earlier) FY of Loan Taken	
	आयकर अधिनियम की धारा 80-ई के तहत कटौती के विवरण	
	(उच्च शिक्षा लेने हेतु किसी भी वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का भुगतान / किस्त लिये	
	गये ऋण के वित्तीय वर्ष में लिये गये ऋण के वर्ष से 8 वर्ष या ऋण की सम्पूर्णता की	
	अवधि तक, जो भी पहले हो)	
9.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-EEB of the Income Tax Act	
	A deduction for interest payments up to Rs. 1,50,000 is available under Section 80EEB to	
	Individuals having an electric vehicle. The said Loan must be taken from a financial	
	institution or a non-banking financial company for buying an electric vehicle and such loan	
	must be sanctioned anytime during the period starting from 1 April 2019 till 31 March 2023.	
	आयकर अधिनियम की धारा 80-ईईबी के तहत कटौती के विवरण	
	इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को धारा 80 ईईबी के तहत Rs. 1,50,000 तक के ब्याज	
	भुगतान की कटौती उपलब्ध है। उक्त ऋण को एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए किसी वितीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वितीय कंपनी से लिया जाना चाहिए और इस तरह के ऋण को 1	
	अप्रैल 2019 से श्रूर होकर 31 मार्च 2023 तक किसी भी समय स्वीकृत किया जाना चाहिए।	
10.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-U of the Income Tax Act	
	(Max Eligibility Rs 75,000/- , in case of severe disability max eligibility of Rs. 1,25,000/-)	
	आयकर अधिनियम की धारा 80-यू के तहत कटौती के विवरण	
	(अधिकतम पात्रता <i>Rs. 75,000/- ,</i> गंभीर अक्षमता के मामले में <i>Rs. 1,25,000/-</i> अधिकतम	
	पात्रता)	
44	Particulars of deduction under Section 80 CCD 1(B) of Income Tax Act	
11.	(Income Tax Deduction on National Pension Scheme)	
	आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी 1 (बी) के तहत कटौती का विवरण	
	(राष्ट्रीय पेंशन योजना पर आयकर कटौती)	

12.	Details of any other Deduction/Exemption claimed not listed above	
	(Please verify relevant Section of Income Tax Act)	
	किसी भी अन्य कटौती / छूट का विवरण ऊपर सूचीबद्ध नहीं है (कृपया प्रासंगिक आयकर	
	अधिनियम की धारा सत्यापित करें)	

- I. I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake that the copy of Investments /documents will be handed over by me to the Finance Department at Head Quarter.
 - i. For Investments already made till date- along with this Declaration Form
 - ii. For proposed investments to be made at future *date- on or before 31st December*, failing which T.D.S. shall be deducted accordingly.

मैं एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही हैं । मैं यह भी वचन देता/ देती हूँ कि वित्त विभाग को अपने निवेश की प्रतियाँ / दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा / कराऊंगी।

- i. इस घोषणा फार्म सहित आज की तिथि तक किये गये पूर्व निवेशों हेतु
- ii. 31 दिसम्बर तक या इससे पहले भविष्य हेतु किये जाने वाले प्रस्तावित निवेशों हेतु जिसके लिए टी डी एस तदनुरूप काटा जायेगा ।
- II. In case of individual claiming House Rent Allowance Exemption, latest month House Rent Receipts duly stamped & signed along with the Landlord PAN Card, if applicable to be submitted along with this Declaration Form, failing which no exemption will be allowed.

मकान किराया भत्ता छूट के मामले में, यदि इस फार्म के साथ मकान मालिक का पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जानी हो तो, डाक टिकट लगाकर एवं हस्ताक्षरित करके विधिवत नवीनतम माह की मकान किराया रसीद के साथ संलग्न करें, ऐसा न करने पर छूट की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

III. I further undertake that in case some interest or other liability arises on Bureau due to my default the same may be devolved upon me.

मैं यह भी वचन देता / देती हूँ कि यदि मेरी कमी के कारण ब्यूरो पर कुछ ब्याज या अन्य देयता उत्पन्न होती है तो उसे मुझ पर हस्तांतरित किया जा सकता है ।

Signature:		
हस्ताक्षर		
Name नाम:	Designation पदनाम:	